बी.ए.-II

प्रथम प्रश्न-पत्र

भारतीय समाज : मुद्दे एवं समस्याएँ (Indian Society : Issues and Problems)

By:- Dr. Purnima Kumari Pal

Department of Sociology

Harish Chandra P.G College

निर्धनता

(Poverty)

प्रत्येक सभ्य-असभ्य, शिक्षित-अशिक्षित, विकसित विकासशील समाज में कुछ न कुछ सामाजिक समस्याएँ सदैव विद्यमान रही है और आज भी हैं तथा इन्हीं समस्याओं को सामाजिक विघटन का प्रमुख कारण माना जाता है। किसी भी समाज में स्थायित्व एवं निरन्तरता हेतु इन समस्याओं का समाधान किया जाना आवश्यक माना जाता है। इसीलिए समाजशास्त्र में सामाजिक समस्या का अर्थ, प्रकृति, प्रकार, कारण तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान के उपायों को समझने का प्रयास किया जाता है।

सामाजिक समस्या का अर्थ (Meaning of Social Problem)

'सामाजिक' शब्द का प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय मानवीय सम्बन्धों, सामाजिक संरचना (ढाँचे), संगठन आदि से होता है। समस्या का अभिप्राय ऐसे अवांछनीय एवं अनुचित व्यवहारों अथवा प्रचलनों से है, जो सामाजिक व्यवस्था में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर देते हैं। अत: सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना या मानवीय सम्बन्धों में जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें हम सामाजिक समस्याएँ कहते हैं।

सामाजिक समस्या की परिभाषाएँ (Definitions of Social Problem)

प्रमुख विद्वानों ने सामाजिक समस्या को निम्नलिखित शब्दों द्वारा परिभाषित करने का प्रयास किया है:

(1) राब एवं सेल्जनिक (Raab and Selznick) के अनुसार-"यह मानवीय सम्बन्धों की वह समस्या है जो स्वयं समाज को गम्भीर चुनौती देती है अथवा अनेक लोगों की महत्त्वपूर्ण आकांक्षाओं में बाधा पैदा करती है।"

(2) ग्रीन (Green) के अनुसार-"सामाजिक समस्या ऐसी परिस्थितियों का पुंज है जिसे समाज में बहुसंख्यक अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक द्वारा नेतिकतया गलत समझा जा सकता है।"

1. "It is a problem in human relationships which seriously threatens society or impedes the important aspirations of many people."

-E. Raab and G. J. Selznick,

2. "A social problem is a set of conditions which are defined as morally wrong by the majority of substantial minority within a society."

-Arnold W. Green, Sociology: An Analysis of Life in Modern Society,

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक समस्या सामान्य स्थापित एवं प्रचलित मूल्यों के अस्तित्व में संकट एवं उथल-पुथल उत्पन्न करने वाली दशा है।

सामाजिक समस्या वास्तव में वे दशाएँ हैं जो सामाजिक मूल्यों को चुनौती देती हैं, समाज का महत्त्वपूर्ण भाग उनसे दबाव या तनाव महसूस करता है, वे उस दबाव के कारक को जानते हैं और यह विश्वास करते हैं कि सामूहिक प्रयासों से इस दबाव को दूर किया जा सकता है।

अपराध. बाल अपराध, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन, वेश्यावृत्ति, टूटते परिवार, बेरोजगारी, गरीबी, मानसिक रोग इत्यादि सामाजिक समस्याओं के ही उदाहरण हैं।

सामाजिक समस्याओं को उनके स्रोत के आधार पर निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है :-

(1) संरचनात्मक समस्याएँ (Structural problems) - सामाजिक संरचना में पाई जाने वाली विसंगतियाँ इस प्रकार की समस्याओं का कारण मानी जाती हैं। निर्धनता; बेरोजगारी; जाति एवं लिंग पर आधारित असमता; धार्मिक, संजातीय, क्षेत्रीय अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं दलितों की समस्याएँ इस श्रेणी के उदाहरण है।

(2) पारिवारिक समस्याएँ (Familial problems) - परिवार में पाई जाने वाली विसंगतियाँ जिन समस्याओं को जन्म देती हैं उन्हें पारिवारिक समस्याएँ कहा जाता है। घरेलू हिंसा, विवाह-विच्छेद, अन्तरा एवं अन्तर-पीढ़ी संघर्ष तथा वृद्धों की समस्याएँ इस श्रेणी के उदाहरण हैं।

(3) विकासात्मक समस्याएँ (Developmental problems) - विकासात्मक समस्याएँ उन्हें कहा जाता है जो किसी भी देश में विकास का परिणाम होती हैं क्योंकि विकास के साथ-साथ इस प्रकार की समस्याएँ स्वतः विकसित हो जाती हैं। विकास-प्रवृत्त विस्थापन, पारिस्थितिकीय अवक्रमण, उपभोक्तावाद तथा मूल्यों का संकट इस प्रकार की समस्याओं के उदाहरण हैं।

(4) विघटनात्मक समस्याएँ (Disorganizational Problems) - विघटनात्मक समस्याएँ सम्पूर्ण टन का परिणाम मानी जाती हैं। अपराध, बाल अपराध, श्वेतवसन अपराध, मादक द्रव्य व्यसन, चा, आतकवाद, सायबर अपराध तथा सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ विघटनात्मक समस्याएं मानी जाती हैं।

निर्धनता (Poverty)

निर्धनता को सभी समाजों में एक प्रमुख सामाजिक समस्या माना जाता है। भारत की समस्याओं में निर्धनता सबसे गम्भीर समस्या है। भारत के करोड़ों लोगों के पास खाने. के लिए रोटी, पहनने के लिए वस्त्र तथा रहने के लिए मकान नहीं हैं। निर्धन लोगों का जीवन स्तर अति निम्न है। तथा वे न्यनूतम जीवन-निर्वाह स्तर से भी नीचे रह रहे हैं।

निर्धनता का अर्थ (Meaning of Poverty)

जिसमें कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने । में अक्षम रहता है। यह एक सापेक्षिक अवधारणा है। इसका प्रयोग तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकताओं का पैमाना देश, काल एवं समाज की दृष्टि पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपनी और अपने आश्रितों की न्यनूतम आवश्यकताएँ (भोजन, वस्त्र एवं आवास) पूरी करने तथा उनका भली-भांति पालन-पोषण करने में असमर्थ है उसे हम निर्धन कह सकते हैं।

निर्धनता की परिभाषाएँ (Definitions of Poverty)

गिलिन व गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार-"निर्धनता वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति कम आय अथवा बुद्धिहीन खचें के कारण अपने अपने जीवन-स्तर को अपनी शारीरिक तथा मानसिक कुशलता के योग्य रखने में असमर्थ रहता है तथा वह अपने स्वाभाविक आश्रितों को अपने समाज के स्तर के अनुकूल, जिसका कि वह सदस्य है, रखने में असमर्थ है।)

"Poverty may be regarded as that condition in which a person either because of inadequate income or unwise expenditures does not maintain a scale of living high enough to provide for his physical and mental efficiency and to enable him and his natural dependents to function usually according to the standards of society of which he is a member."

-J. L Gillih and J. P. Gillin, Cultural Sociology.

वीवर (Weaver) के अनुसार-निर्धनता एक ऐसे जीवन-स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य और शरीर सम्बन्धी दक्षता नहीं बनी रहती है।

"Poverty is an insufficient supply of those things which are requisite for an individual to maintain imself and those dependent upon him in health and vigour." - W. W. Weaver

गोडार्ड (Goddard) के अनुसार-"निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जोकि एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है।")

"Poverty is an insufficient supply of those things which are requisite for an individual to maintain imself and those dependent upon him in health and vigour."

--J. G. Goddard. Poverty

उपर्यक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि निर्धनता व्यक्ति की वह स्थिति है जिसमें वह अपनी और अपने स्वाभाविक आश्रितों को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को भली-भांति पूरा करने में असमर्थ है। सका कारण धन का अभाव अथवा विवेकशून्य (बुद्धिमत्तारहित) व्यय हो सकता है।

भारत में निर्धनता का निर्धारण एवं परिमाण (Determination and Extent of Poverty in India)

निर्धनता भारत की एक प्रमुख समस्या मानी जाती है। भारत में निर्धनता के जहाँ एक ओर अनेक कारण हैं वहीं दूसरी ओर यह स्वयं अनेक अन्य समस्याओं का कारण भी है। यद्यपि यह समस्या स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पहले भी भारत में व्यापक रूप में विद्यमान थी, तथापि इसके माप तथा समाधान के लिए सरकारी प्रयास स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् ही प्रारम्भ हुए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 1999-2000 ई० को भारत में निर्धनों की संख्या 260-3 मिलियन थी अर्थात् देश की जनसंख्या में 26-1 प्रतिशत व्यक्ति निर्धन थे। यह अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 27.1 तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए 23.6 था। यद्यपि पिछले कुछ दशकों में निर्धनता की दर में थोड़ी गिरावट आई है, तथापि निर्धनता आज भी भारत की एक प्रमुख समस्या मानी जाती है।

Rank	State	NSDP capita (INR at Current prices)		$ (2014)	NSDP capita (INR at 2004-05 prices)	
		2018-19	2017-18		14-15	13-14
1	**Goa**	467,998	**422,149**	4,903	-	**137,401**
2	**Delhi**	365,529	**328,985**	4,642	125809	**118,411**
3	Sikkim	357,643	**317134**	3,861	-	**83,527**
4	**Chandigarh**	**--**	**297313**	3,433	-	**82,798**
5	Puducherry	220461	203583	3,143	102965	94,787
6	Haryana	226644	203340	2,919	71493	67,260
7	Maharashtra	---	176102	2,561	72200	69,097
8	Tamil Nadu	193750	171583	2,464	66635	62,361
9	A. & N. Islands	-	159664	2,350	-	72,716
10	**Gujarat**	-	174652	2,337	-	63,168
11	**Kerala**	-	184000	2,271	-	58,961
12	Uttarakhand	198738	182320	2,269	63820	59,161
13	**Telangana**	205696	180697	2,086	51017	48,881
14	**Punjab**	154598	142644	2,020	51403	49,529
15	Himachal Pradesh	179188	167044	2,019	-	54,494
16	**Karnataka**	210887	187649	1,959	48907	46,012
17	Arunachal Pradesh	--	127748	1,870	37683	36,019
18	Andhra Pradesh	164025	143935	1,780	44831	42,170
19	Nagaland	...	102581	1,696	51888	49,963

20	Mizoram	-	141,210	1,665	-	41,094
21	**West Bengal**	109491	93711	1,532	38624	36,293
22	Tripura	-	105,044	1,525	-	47,261
23	Rajasthan	109105	99487	1,443	33186	31,836
24	Meghalaya	69516	81,098	1,346	39503	37,154
25	Jammu & Kashmir	58888	83,717	1,297	30612	31,448
26	Chhattisgarh	98887	89,813	1,281	29047	28,373
27	Odisha	93352	84,854	1,150	26531	24,929
28	**Madhya Pradesh**	90998	82,941	1,133	29218	26,853
29	Jharkhand	76019	69,265	1,009	30950	28,882
30	Assam	...	**74204**	968	23968	**23,392**
31	Manipur	...	**65411**	909	-	**24,042**
32	**Uttar Pradesh**	461351	**55456**	793	20057	**19,233**
33	**Bihar**	43822	**38631**	682	16801	**15,506**
	India	**126,406**	**114,958**	**1,627**		**39,904**

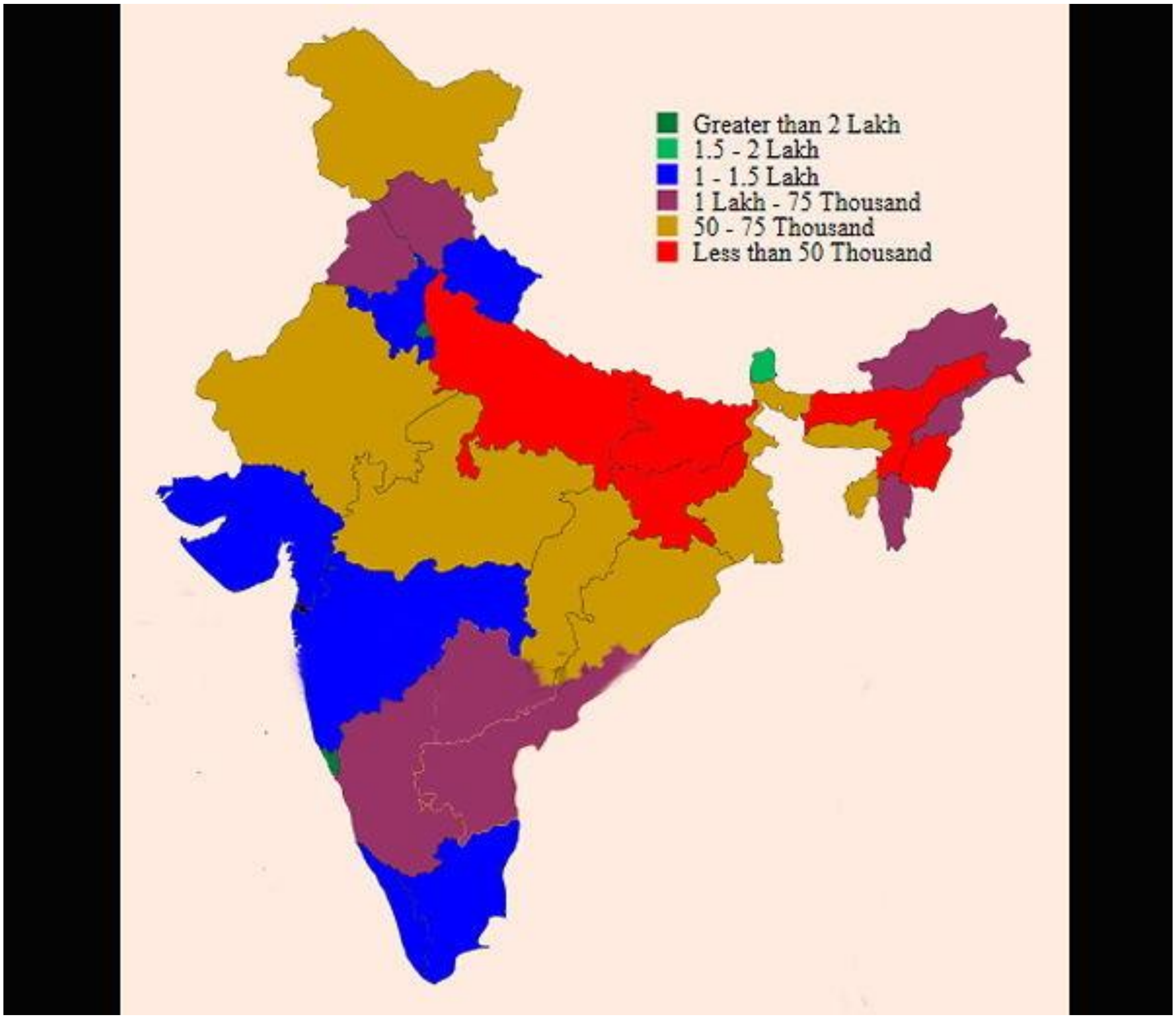

भारत में निर्धनता के कारण (Causes of Poverty in India)

वैयक्तिक कारण (Personal Causes) - कई बार मानसिक, शारीरिक व चारित्रिक दोष व्यक्तिगत निर्धनता का कारण बन जाते हैं। निर्धनता के प्रमुख वैयक्तिक कारण निम्न प्रकार हैं

(1) **मानसिक दोष (Mental defects)** - यदि व्यक्ति का मस्तिष्क रोगग्रस्त है अर्थात् व्यक्ति पागल या बुद्धिहीन है, तो वह किसी कार्य को करने में असमर्थ रहेगा। अत: उसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होगा। मानशिक रूप से दोसी व्यक्ति संसाधनों का सदुपयोग भी नहीं कर सकते है। अतः इससे निर्धनता बढ़ती है।

(2) **शारारिक दोष और बीमारियाँ (Physical defects and diseases)** - शारीरिक दोष व बीमारी दाना दशाए भी व्यक्ति को निर्धन बनाने में सहायक सिद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति जन्म स अन्धा, लगड़ाया अन्य किसी शारीरिक दोष से पूर्ण हैं या किसी दुर्घटनावश

उसका शरीर दोषी हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसे जीविकोपार्जन करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

(3) **आलस्य (Laziness)-**जो व्यक्ति आलस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं, वह प्रायः निर्धन होते हैं। वे कार्य करना ही नहीं चाहते। भारतीय समाज में इसे भी निर्धनता का एक वैयक्तिक कारण बताया गया है।

(4) **मद्यपान (Alcoholism) -** जिस समाज में व्यक्ति अधिक मद्यपान करते हैं, वहाँ भी निर्धनता बढ़ने लगती है। व्यक्ति नशे के लिए अपने तथा अपने परिवार की मौलिक आवश्यकताएँ भी त्याग देते हैं। वे काम पर नहीं जाते तथा उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है। उनका व्यक्तिगत एवं पारिवारिक विघटन होने लगता है और इससे निर्धनता बढ़ने लगती है।

(ब) भौगोलिक कारण (Geographical Causes)

(1) प्राकृतिक साधनों में कमी (Lack of natural resources) - कुछ स्थानों पर भूमि ऊपजाऊ न होकर ऊसर होती है। वहाँ खनिज पदार्थ भी उपलब्ध नहीं होते। कुछ स्थानों पर कोयले व लोहे के उत्पादन के साधनों की कमी होती है। ऐसे स्थानों पर रहने वाले व्यक्ति प्राय: गरीब होते हैं। उदाहरणार्थ, पहाड़ी प्रदेशों की भूमि कंकरीली व पथरीली होती है, वहाँ की जमीन इस योग्य नहीं होती कि वहाँ पर खेती की जा सके। बड़ी कठिनाई से थोड़ी सी भूमि को समतल बनाकर वहाँ अनाज की पैदावार की जाती है। अतः अन्न की पैदावार बहुत कम होती है। इसलिए वहाँ व्यक्ति काफी गरीब होते हैं।

(2) प्रतिकूल जलवायु और मौसम (Adverse climate and weather) - जलवायु व मौसम की प्रतिकलता भी निर्धनता पर गहरा प्रभाव डालती है। उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर जलवायु सदेव ठण्डी रहती है। इसी प्रकर से एस्कीमो प्रदेश व हिमालय पर्वत के शिखरों पर सदैव बर्फ पड़ती है। सम्पूर्ण प्रदेश व पर्वत मालाएं सफेद रुई के सदश बर्फ से आच्छादित रहते हैं। राजस्थान भी इसी श्रेणी में आता है, रेगिस्तान होने के कारण खेती नहीं हो पाती और इससे लोगों में निर्धनता बढ़ती है।

(3) हानिकारक कीड़े (Harmful insects and pests) - गेहूँ, गन्ना, धान इत्यादि फसलों को नष्ट करने वाले बहत से कीड़े होते हैं। ये सम्पूर्ण फसल में लग कर फसल खराब कर देते है। व्यापारियों द्वारा एकत्रित अनाज को भी यह कीड़े नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार, सम्पूर्ण जनता निर्धन बनी रहती है। ऐसा अनमान लगाया जाता है कि हमारे देश की फसलों का 20 प्रतिशत से अधिक कीडे खा जाते हैं या को नष्ट कर देते हैं।

(4) प्रकिर्तिक विपत्तियाँ (Natural disasters) - कभी-कभी प्रकृति सम्पूर्ण पैदावार को अपने प्रकोप का भोजन बना लेती है। अचानक ही भूचाल, तूफान, ज्वालामुखी का विस्फोट माया अधिक होना सारे क्षेत्र में खलबली मचा देता है। ये सभी प्राकतिक में खलबली मचा देता है। ये सभी प्राकृतिक विपत्तियाँ पल भर में खेतो, फसलों तथा अन्य एकत्रित पदार्थों का विनाश कर देती हैं। इस प्रकार, प्राकतिक का विनाश कर देती है। इस प्रकार, प्राकृतिक विपत्तियाँ भी निर्धनता को स्थापित करने में सहायता देती हैं।

(स) आर्थिक कारण (Economic Causes)

(1) **अपर्याप्त उत्पादन (Insufficient productions) -** यदि देश में अपर्याप्त उत्पादन है तो वहाँ के श्रमिकों को नौकरियों में भी अवसर प्राप्त नहीं होते राष्ट्रीय आय भी काम रहेगी और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी कम होगी हमारे देश की बिगड़ती आर्थिक दशा एवं मेह्गाई अपर्याप्त उत्पादन का अभिश्राप है

(2) **कृषि का पिछड़ापन (Agricultural backwardness) -** हमारा देश निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। यहाँ पर पुराने ढंग से कृषि की जाती है। व्यक्तियों के अशिक्षित होने के कारणवश उन्हें नवीन वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना नहीं आता। हमारे देश की तीन-चौथाई जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। फिर भी कई बार विदेशों से अन्न मंगाना पड़ता है। अमेरिका में केवल सात प्रतिशत जनंसख्या कृषि में लगी हुई है। और वे लोग अन्य देशों को अन्न भेजते हैं।

(3) **कृषि पर अत्यधिक निर्भरता (Complete dependency on agriculture)-** हमारे देश में दो-तिहाई जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। ग्रामवासी जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। एक परिवार के पास घोड़ी जमीन होती है। ग्रामों में संयक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन होता है। सभी व्यक्ति मिलकर रहते है। इस थोड़ी सी जमीन में सभी का पालन-पोषण कठिनता से हो पाता है और कृषि पर निर्भरता के कारण व्यक्ति गरीब रहते हैं। हमारे देश की कृषि पर आधारित जनता में अर्द्ध-बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, जो कि निर्धनता को बढ़ावा दे रही है।

(4) **उद्योग-धन्धों का अभाव (Lackof industries)-** हमारे देश में उद्योग-धन्धों का समुचित एवं सन्तुलित विकास नहीं हो सका है। अब भी लगभग 15-20 प्रतिशल जनता ही उद्योग-धन्धों के ऊपर अवलम्बित है। उद्योग-धन्धों के अभाव के कारण भी चारों ओर गरीबी का साम्राज्य दृष्टिगत होता है।

(5) **धन का असमान वितरण (Unequal distribution of wealth)-** भारतवर्ष में निर्धनता का एक प्रमुख कारण देश में धन का असमान वितरण भी कहा जा सकता है। देश की अधिकतर सम्पत्ति कुछ हाथों में हो निहित है। इस कारण हमारे देश में पूंजीपति श्रमिक वर्ग का अधिक शोषण करते हैं। इससे राष्ट्र का सम्पूर्ण घन सभी व्यक्तियों में समान वितरित न होकर असमान रूप से वितरित होता है।

(6) **आर्थिक मन्दी (Economic depression)-** आर्थिक मन्दी के फलस्वरूप भी समाज में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। पूँजीपति कारखानों में खूब धन लगाकर उत्पादन में वृद्धि कर लेते हैं। ग्राहकों की माँग न होने के कारण माल बहुत कम बिकता है। इस प्रकार से माँग व पूर्ति में असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्पादन बढ़ता जाता है, माँग कम होती जाती है। माल की बिक्री के लिए मिल-मालिकों को सस्ते दामों पर विक्रय करना पड़ता है। इससे बाजार में वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं। इसलिए मिल-मालिकों को मिल व कारखाने बन्द कर देने पड़ते हैं। इससे कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक बेकार हो जाते हैं। इस बेकारी की अवस्था में उनका निधन होना स्वाभाविक है।

(द) सामाजिक कारण (Social Causes)

1. **दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली (Defective educational system) -** हमारे देश में शिक्षा प्रणाली भी बड़ी दूषित है। एक इंजीनियर अपने हाथ से काम करना पसन्द नहीं करता। हमारे देश की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। हमारे देश में लगभग 500 इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (आई०टी० आई०) हैं जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त लगभग पचास लाख नवयुवक इस समय बेकार हैं। एक हाई स्कूल व्यक्ति भी अपना कार्य न करने के बजाय नौकरी की सोचता है। इन सभी कारणों ने भी निर्धनता को बढ़ावा दिया है।
2. **सामाजिक कुप्रथाएँ (Social evils)-** सामाजिक कुप्रथाएँ भी समाज में निर्धनता उत्पन्न करती हैं। भारतवर्ष में अनेक ऐसी कुप्रथाएँ है जैसे, दहेज, बाल विवाह, पर्दा, जाति व्यवस्था आदि। इन्होंने भारतीय समुदाय को अनेक प्रकार से हानियाँ पहुंचाई हैं और निर्धनता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
3. **धर्म (Religion)-** धर्म भी कभी-कभी समाज पर बुरे प्रभाव डालता है। भारतवासी धर्म के आधार पर ही अन्धविश्वासी बने हुए हैं। कुछ लोग हर बात का सम्बन्ध भाग्य से जोड़ते हैं। अशिक्षित लोग धार्मिक संस्कारों पर कर्ज लेकर हजारों रुपये व्यय करते हैं। गरीब व्यक्ति गरीबी को भगवान का दिया हुआ अभिशाप मानता है जिसे दूर करना कठिन है। इसलिए वह ज्यादा कठिन प्रयास भी नहीं करता है।
4. **सयुक्त परिवार प्रणाली (Joint family system)-** देश में निर्धनता बढ़ने के लिए सयुक्त परिवार प्रदाहि भी उत्तरदायी है संयुक्त परिवार प्रणाली व्यक्ति में आलस्य उत्पन्न कर देती यह व्यक्ति को घर से बहार जाने का अवसर प्रदान नहीं करती इससे बल विवाह को भी बढ़ावा मिलता है इनने सब कारणों से निर्धनता बढ़ती चले जाती है
5. **जाति व्यवस्था (Caste system)-** जाति व्यवस्था के देश पर अनेक दूषित परिणाम पड़े हैं। सका प्रमुख परिणाम है। इस व्यवस्था ने सदियों तक व्यक्ति को ऊँचा उठने का अवसर नहीं दिया है। इस व्यवस्था में सदियों तक सदस्यों को ऊँचे व्यवसाय चुनने का अवसर परम्परागत रूप से नहीं था। यह प्रणाली सवैवो व्यक्ति के मार्ग में रोड़ा बनी रही है।

(य) जनसंख्यात्मक कारण (Demographic Causes).

किसी देश की निर्धनता के जनसंख्यात्मक कारण भी बडे महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। वास्तव में, आधुनिक युग में बेकारी व निर्धनता के लिए जनसंख्या को एक मूल कारण कहा जा सकता का उत्थान इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि वहाँ की जन्म-दर और मृत्युन्दर की क्या मात्रा है हमारे देश में पिछले वर्षो में जनसख्या में काफी वृद्धि हुई है। इसका मूल कारण अधिक जन्म-दर है। किसी देश की बढ़ती जनसँख्या के बड़े दूषित परिणाम निकलते हैं। अति जनसंख्या की स्थिति में बेरोजगारी, खाद्य सामग्री की कमी , श्रमिकों की अधिक संख्या आदि हो जाती है। इससे निर्धनता बढ़ने लगती है। हमारे देश का जनसख्या में जिस तीव्र गति से वृद्धि हो रही है उसी मात्रा में देश का आर्थिक विकास नहा हा पा रहा ह आधक राजगार की व्यवस्था की जाती है उससे अधिक मात्रा में व्यक्ति श्रमिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते है। वरूप देश में बेरोजगारी की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है जो कि निर्धनता को बढ़ावा दे रही है।

निर्धनता के परिणाम

(Consequences of Poverty).

1. अपराध एवं बाल अपराध (Crime and juveniledelinquency)-निर्धनता अपराध तथा बाल अपराध की संख्या में वृद्धि कर देती है। निर्धनता के कारण व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। इस प्रकार, वह कई बार अपराधी व बाल अपराधी बन जाता है। अधिकांश बाल अपराधी भी निर्धन परिवारों से ही आते हैं।

2. विवाह-विच्छेद (Divorce)- निर्धन लोगों का वैवाहिक जीवन अत्यन्त तनावपूर्ण होता है। कई बार तो विवाह-विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। एक तो निर्धनता ऊपर से बेरोजगारी, व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देती है। इससे पारिवारिक विघटन शरू हो जाता है। पारिवारिक कलह व अशान्ति के कारण कई बार विवाह-विच्छेद हो जाते हैं।

3. आत्महत्या (Suicide)- निर्धनता आत्महत्या का भी एक कारण है। कई बार निर्धन व्यक्ति इतना निराश हो जाता है कि आत्महत्या तक कर बैठता है। निराशा, अपमान, आवश्यकताओं, की पूर्ति न हो पाना इत्यादि ऐसी मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देते हैं।

4. भिक्षावृत्ति (Beggary)- निर्धनता भिक्षावृत्ति का भी कारण है। अपने तथा अपनी पत्नी व बच्चे को भूखा मरते देख व्यक्ति भीख माँगने में किसी भी प्रकार की लज्जा महसूस नहीं करता है।

5. वेश्यावृत्ति (Prostitution)- निर्धनता के कारण अनेक स्त्रियाँ अनैतिक व्यापार द्वारा पैस - कमाना शुरू कर देती हैं। वास्तव में, निर्धनता एक ऐसा अभिशाप है जो हजारों लाखों स्त्रियों को इस पतन की ओर ले जाता है।

6. वैयक्तिक विघटन (Personal disorganization)- निर्धनता के कारण शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति टूट जाता है। उसका मानसिक सन्तुलन बिगड़ने लगता है। उसका चारित्रिक पतन भी हो जाता वह अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों का शिकार हो जाता है।

भारत में निर्धनता-उन्मूलन के लिए किए गए उपाय

(Measures adopted for Eradicating Poverty in India)

उपाय:-

योजना	कारण
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-	यह योजना 1999 ई० में प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य लघु उद्यमों को बढ़ावा देना और सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को सामाजिक पुनर्गठन, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण एवं सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के माध्यम से आयसर्जक परिसम्पत्तियों के प्रावधान की प्रक्रिया के

	जरिए उन्हें स्व-सहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	यह योजना सितम्बर, 2001 ई० में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, स्थायी सामुदायिक, सामाजिक और आर्थिक परिसम्पत्तियों का सृजन और आधारभूत ढांचे का विकास करने के साथ-साथ अतिरिक्त मजदूरी मुहैया कराना है।
प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना	इस योजना की शुरुआत 2000-01 ई० में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में की गई थी ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस योजना के अन्तर्गत चुनिंदा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया गया है ताकि सरकार के कतिपय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।
प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)-	प्रधानमन्त्री ग्रामीण विकास से सम्बन्धित ग्रामोदय योजना 4 अप्रैल, 2000 ई० को शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्राम स्तर पर स्थायी पर्यावास विकास को पूरा करना है। इस योजना के अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना समूचे देश में लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत वित्त मन्त्रालय सीधे राज्य सरकारों को धनराशि जारी करता है।
प्रधानमन्त्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल परियोजना)-	इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कल आबंटन का कम-से-कम 25 प्रतिशत भाग सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मरुभूमि विकास कार्यक्रम/सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों के अन्तर्गत जल संरक्षण, जल प्रबन्धन जल. भराई तथा पेयजल संसाधनों को कायम रखने के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जाना है।

अन्त्योदय अन्न योजना	यह योजना प्रधानमन्त्री द्वारा 25 दिसम्बर, 2001 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शामिल किए गए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान की गई है। प्रत्येक पात्र परिवार को 2 कि० ग्रा० गेहूँ और 3 रुपये प्रति कि० ग्रा० चावल के अत्यधिक बड़ी सब्सिडी प्राप्त दर से 25 कि० प्रा० खाद्यान्न मुहैया कराया गया।
अन्नपूर्णा-	यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में पहली अप्रैल, 2000 ई० से प्रभावी हुई। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने पात्र हैं लेकिन जिन्हें पेंशन मिल नहीं रही है, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है।
इन्दिरा आवास योजना	इन्दिरा आवास योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के गरीब परिवारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले गैर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी मुफ्त आवास मुहैया कराना है।
जय प्रकाश रोजगार गारण्टी योजना	इस योजना का उद्देश्य देश के सर्वाधिक विपदाग्रस्त जिलों में बेरोजगारों को रोजगार गारण्टी प्रदान करना है। इस योजना को शुरू करने के लिए प्रचालन सम्बन्धी । तौर-तरीके तय करने की प्रक्रिया चल रही है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मगनरेगा)	125 दिन का रोज़गार प्रतिदिन २०२ रूपए
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण तथा शहरी)	इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान है या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान

	करना है तथा वर्ष 2022 तक सभी लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सम्मिलित करना है| यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से जानी जाती है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानी जाती है
आयुष्मान भारत योजना	इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों को अच्छे **स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य बीमा** उपलब्ध कराना चाहती है तथा योजना के कार्य के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं जा रहे हैं| प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 500000 तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है तथा उनको इस लायक बनाती है कि वह अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निशुल्क करा सके| इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी सरकारी अस्पतालों को शामिल किया गया है एवं 1350 सूचीबद्ध बीमारियों का इलाज सुविधा उपलब्ध कराई जाती है
प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना	अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की **पेंशन योजनाएं** उपलब्ध कराती है| योजना के अंतर्गत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है|
मातृत्व वंदना योजना	योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं को **आर्थिक सहायता** के रूप में रु 6000 प्रदान करती है प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2019 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओ यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
नेशनल एजुकेशन पालिसी योजना	केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशन पालिसी को आरम्भ किया है इस योजना के अंतर्गत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है। नेशनल एजुकेशन पालिसी के अंतर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जी ई आर के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया जाएगा। अंतर्गत सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी में काफी सारे मुख्य बदलाव किए हैं पहले 10+2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी और 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा होगी। National Education Policy 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रदान की जाने वाली शिक्षा को वैश्विक स्तर पर लाना है। इस योजना के ज़रिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

अन्त्योदय अन्न योजना	इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारको को सरकार द्वारा प्रतिमाह 35 किलो राशन प्रदान किया जायेगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत एक और फैसला लिया है कि देश के गरीब परिवारों के साथ साथ दिव्यांगों को भी इस योजना के अंतर्गत हर महीने 35 किलो अनाज गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और धान 3 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाबप्रति परिवार को दिया जायेगा।
स्वनिधि योजना	इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम नए सिरे से शुरू करने के लिए आरम्भ किया गया है। इस **स्वनिधि योजना** के अंतर्गत देश के रेहड़ी और पटरी वालों (छोटे सड़क विक्रेताओं) को अपना खुद का काम आरम्भ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 10000 रूपये तक का लोन उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार द्वारा लिया गया यह ऋण रेहड़ी पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटना होगा। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जायेगा	

भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु सुझाव

(Suggestions for Eradication of Poverty in India)

1. सबसे सरल उपाय व्यक्तियों में वैज्ञानिक भावना अवं जागरूकता लाना है ताकि वे यह एहसास कर सके की गरीबी भगवन का दिया हुआ अभिश्राप नहीं है इसे पारिवारिक बजट बनाकर दूर किया जा सकता है।
2. शिक्षा प्रणाली को अधिक उपयुक्त बनाकर इसे रोजगार की सुविधाओं से जोड़ा जाना चाहिए।
3. सम्पत्ति के उचित विभाजन, धन के विकेन्द्रीकरण, सुअवसरों में समानता लाकर निर्धनता काफी सीमा तक दूर हो सकती है।
4. उत्पादन में वृद्धि से भी निर्धनता पर नियन्त्रण रखा जा सकता है। उत्पादन में वृद्धि से अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है।
5. लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण बेरोजगारों को इसमें लगाया जा सकता है और निर्धनता को कम किया जा सकता है।
6. वर्तमान पिछड़े हुए अल्पविकसित क्षेत्रों में आर्थिक तथा सामाजिक विकास द्वारा उनका उचित विकास किया जा सकता है। वहाँ के लोगों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

7. औद्योगीकरण का विकास तथा कृषि का विकास योजनाबद्ध रूप से किया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक समानताएं असीम मात्रा तक न बढ़ती जाएँ।

8. विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने का कार्य तथा इन्हें कार्यान्वित करने का कार्य तेज किया जाना चाहिए। ताकि विकास के लाभ लोगों को पहुँच सकें।

9. सामाजिक कुरीतियों (जैसे दहेज प्रथा इत्यादि) पर रोक लगाकर भी निर्धनता को रोका जा सकता है।

10. सिंचाई के अधिक से अधिक साधन उपलब्ध करके गांवों में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इससे कृषकों की वर्षा पर निर्भरता कम होगी और उत्पादन में वृद्धि से निर्धनता दूर हो सकती है, LA) बेकारी बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए ताकि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके।

11. परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जनसंख्या को नियन्त्रित किया जा सके।

12. पर्याप्त पूँजी की व्यवस्था द्वारा देश के आधारभूत ढाँचे को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

13. प्रशासनिक सुधारों को तेजी से लागू किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार जैसी बुराई पर रोक लगाई जा सके तथा

14. कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित सुधारों तथा भूमि सुधारों के लिए कठोर अधिनियम बनाए जाने चाहिए तथा इन्हें कठोरता एवं निष्ठता से लागू किया जाना चाहिए।

15. बेकरी बीमा योजना सुरु की जाने चाहिए ताकि बेरोज़गारो को बेरोजगारी भाता दिया जा सके।

Dr. Purnima Kumari Pal

Department of Sociology

Haris chandra P.G College

B.A 2 Year

जाति एवं लिंग की असमानता (Inequality of caste & Gender)

असमानता की अवधारणा (Concept of Inequality)

असमानता अथवा विषमता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज के नियमों अथवा राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न समूहों के प्रति भेदभाव का व्यवहार किया जाता है।

विषमता की प्रकृति को निम्नांकित विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है:

1. विषमता की प्रकृति सामाजिक होती है।
2. विषमता का विकास समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है।
3. विभिन्न समाजों में विषमता के आधार एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।
4. विषमता में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है।
5. सामाजिक विषमता एक सार्वभौमिक तथ्य है।

जातिगत असमानताओं के कारण (Causes of Caste Inequalities)

1. मनुस्मृति के विधान (Rules of Manosmrati)
2. धार्मिक शिक्षा अवं परम्परावादी जीवन(Religious Education & Traditional Life)
3. जाति पंचायते(Caste Panchayats)
4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy)
5. अंतर्विवाह का प्रचलन (Rule of Endogamy)
6. जाति पर आधारित राजनीति(Caste based Politics)
7. जातियों का आसमान विकास (Uneven Development of castes)
8. गुट निर्माण की प्रविति्त(Tendency of Faction Formation)

जातिगत असमताओ से उत्पन समास्यें**(Problems Emerging Due to Caste Inequalities)**

1. निम्न जातियों का शोषण (Exploitation of Lower Castes)
2. सामाजिक निष्क्रियता (Social Passivism)
3. व्यापक निरक्षरता (Wide Spread literacy)
4. जातिवाद (Casteism)
5. अन्तर्जातीय तनाव (Inter-caste Tensions)
6. सामाजिक पृथक्करण में वृद्धि (Increase in Social Separatism)

अस्पृश्यता निवारण के लिए सुझाव (Suggestions for the Eradication of Untouchability)

गैर-सरकारी तथा सरकारी प्रयासों के परिणामस्वरूप अस्पृश्यता में कमी तो हुई है परन्तु यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाई है। अस्पश्यता निवारण के लिए प्रभावशाली सुझाव इस प्रकार हैं:

(1) इन जातियों के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए और अधिक ठास कदम उठाण चाहिए ताकि जीवन-स्तर ऊँचा होने के कारण इनकी निर्योग्यताएँ समाप्त हो सके।

(2) अस्पृश्यता निवारण के लिए चलचित्रों, नाटकों, गीतों व लघुचित्रों द्वारा जनमत तैयार किया जाना चाहिए

(3) इन जातियों को अन्य लोगों के साथ रहने से सम्बन्धित गृह-निर्माण नीति बनाई जानी चाहिए

(4) शिक्षा सुविधाओं के साथ-साथ इन्हें अतिरिक्त कोचिंग सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहिए तार इनका शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सके।

(5) जो घृणा वाले निम्न पेशे हैं, उनमें भौतिक सुधार होना चाहिए।

(6) जाति व्यवस्था को समाप्त करके अस्पृश्यता समाप्त की जा सकती है क्योंकि अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का ही एक अंग है।

(7) इनके लिए प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(8) इन्हें स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

(9.) इन्हें सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(10) अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

लैंगिक असमानता : अर्थ अवं प्रकृति (Gender Inequality: Meaning and Nature)

लैंगिक असमानता का अर्थ - पुलिंग तथा स्त्रीलिंग एक जैविक तथ्य है यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है जिसे लैगिक असमता कहा जाता है। लिंग के विपरीत जेण्डर एक सामाजिक-सांस्कृतिक तथ्य है जिसे हम लिंग को सामाजिक रचना भी कह सकते है। यह किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर सामाजिक संरचना द्वारा निर्मित प्रक्रियाओं की सामाजिक रचना होती है। विभिन्न समाजों में सामाजिक-सांस्कृतिक अन्तर होने के कारण जेण्डर के रूप में लिंग का यह सामाजिक रचना भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती है। लिंग की सामाजिक रचना होने के नाते जेण्डर से अभिप्राय लिंग के अनुरूप किए जाने वाले व्यवहार भूमिकाओं, प्रत्याशाओं तथा समाज में की जाने वाली क्रियाओं से है। समाजों में परम्परागत रूप से लिंग के आधार पर श्रम-विभाजन पाया जाता था जिसके अनुसार स्त्रियों की भूमिका घर की चहारदीवारी के भीतर सीमित कर दी गई थी। पुरुष की भूमिका बाहर जाकर कार्य करने की रही है।

भारत में लैंगिक असमानता के स्वरुप(Forms of Gender Inequality in India)

1. लिंग भेदभाव : सामाजिक फंदे का अत्याचार(Sex discrimination: The tyranny of social trap)
2. शिक्षा में असमानता(Inequality in Education)
3. रोजगार में असमानता(Inequality in Empolyment)
4. स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बन्धी सुविधाओं में असमानता (Inequality in opportunitie relating to health and nutrition)
5. यौन शोषण तथा यौन उत्पीड़न (Sex exploitation and sexual harassment)
6. दहेज़ के कारण उत्पीड़न(Harassment due to dowry)
7. तलाक द्वारा उत्पीड़न(Harassment due to divorce)
8. वैधव्य के बारे में दोहरे मापदंड(Double standard about widowhood)
9. स्त्री के प्रति हिंसा(Violence against women)
10. स्त्री हत्या(Femicide)

भारत में लैंगिक असमानता को कम करने हेतु सुझाव (Suggestions for reducing gender Inequality in India)

1. वैधानिक सुधार (Legal reforms)
2. स्त्री शिक्षा का प्रसार (Expansion of women education)
3. रोजगार एवं स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन (Encouragement for employment and self-employment)
4. मातृत्व का मौलिक अधिकार (Basic right of motherhood)
5. स्त्री-संगठनों को प्रोत्साहन एवं सहायता (Encouragement and help to women organization)
6. प्रतीकों के विरुद्ध मोर्चा (Fight against symbols)
7. स्त्री सशक्तिकरण (Women empowerment)

- ✓ स्त्रियों को उन कारणों एवं प्रक्रियाओं को आलोचनात्मक रूप में समझना होगा जो उनके सशक्तिकरण में बाधक हैं।

- ✓ स्त्रियों को अपनी स्व-प्रतिष्ठा बढ़ानी होगी तथा अपने प्रति अबला होने की धारणा बदलनी होगी।
- ✓ स्त्रियों को प्राकृतिक, मौद्रिक तथा बौद्धिक संसाधनों तक अपनी पहुँच बढ़ानी होगी।
- ✓ स्त्रियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाओं व प्रक्रियाओं में दखल देने सम्बन्धी अपने विश्वास, ज्ञान, सूचना तथा क्षमताओं को प्राप्त करना होगा।
- ✓ स्त्रियों को परिवार एवं समुदाय के अन्दर तथा बाहर निर्णय लेने सम्बन्धी प्रक्रियाओं पर अपना नियन्त्रण एवं सहभागिता बढ़ानी होगी।
- ✓ स्त्रियों को उन नवीन भूमिकाओं की ओर आगे बढ़ना होगा जो अब तक केवल पुरुषों का अधिकार-क्षेत्र मानी जाती रही हैं।
- ✓ स्त्रियों को उन अन्यायपूर्ण एवं असमान विश्वासों, प्रथाओं, संरचनाओं एवं संस्थाओं को चुनौती देनी होगी तथा बदलना होगा जो लैंगिक असमता के लिए उत्तरदायी है।